



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़**

**शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना जहानागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी सिकन्दर राजभर पुत्र जिउत राजभर, निवासी – बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद – आजमगढ़, उम्र – लगभग 24 वर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, शादी से इंकार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु०अ०सं० 47/26 धारा 69, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.03.2026 को व०उ०नि० सविन्द्र राय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ब्लॉक तिराहा, जहानागंज से अभियुक्त सिकन्दर राजभर पुत्र जिउत राजभर, निवासी – बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद – आजमगढ़, उम्र – लगभग 24 वर्ष को समय करीब 14:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सिकन्दर राजभर पुत्र जिउत राजभर, निवासी – बरहतीर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद – आजमगढ़, उम्र – लगभग 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 47/26, धारा 69, 351(3) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट, थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. व०उ०नि० सविन्द्र राय, मय हमराह पुलिस टीम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

**थाना – महाराजगंज, जनपद – आजमगढ़**

**नाजायज गांजा के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**

**गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 07 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 03 अभियुक्तों को कुल 07 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.03.2026 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराही पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान देवारा तुर्कचारा के पास से तीनों अभियुक्तों को समय करीब 11:10 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मोनू यादव पुत्र तीरथ यादव, निवासी – सैदपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 25 वर्ष
02. जमुना हरिजन पुत्र स्व0 देवराज, निवासी – ग्राम हैदराबाद मकरहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 31 वर्ष
03. मोहित यादव पुत्र अमरजीत यादव, निवासी – ग्राम आराजी आमानी, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 22 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 41/26, धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना – महाराजगंज, जनपद – आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास-

#### मोनू यादव-

01. मु0अ0सं0 41/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महाराजगंज जमुना हरिजन-

01. मु0अ0सं0 41/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महाराजगंज मोहित यादव-

01. मु0अ0सं0 41/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महाराजगंज

02. मु0अ0सं0 174/18 धारा 323/504/506/452 भादवि बरामदगी

01. कुल 07 किलोग्राम नाजायज गांजा

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य (नेतृत्व)
02. उ0नि0 विनय कुमार यादव
03. हे0का0 दीपक सिंह
04. का0 रामबाबू यादव
05. का0 अमन सिंह यादव

थाना – महाराजगंज, जनपद – आजमगढ़

बड़हरडीह पुलिसिया पर गोवध प्रकरण का खुलासा – उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.02.2026 को थाना महाराजगंज क्षेत्रान्तर्गत बड़हरडीह पुलिसिया के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित पशु का अवशेष फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 विनय कुमार यादव द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त शिबू पुत्र अंसार निवासी थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

### गिरफ्तारी का विवरण-

गोवध/गोमांस तस्करी की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.03.2026 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा महाराजगंज स्थित राजेसुल्तानपुर मोड़ से अभियुक्त शिबू पुत्र अंसार, निवासी – हुसैनाबाद, कस्बा निजामाबाद, थाना – निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 19 वर्ष को समय करीब 06:10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिबू पुत्र अंसार, निवासी – हुसैनाबाद, कस्बा निजामाबाद, थाना – निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 19 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 22/26, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना – महाराजगंज, जनपद – आजमगढ़ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य (नेतृत्व)
02. उ0नि0 विनय कुमार यादव
03. हे0का0 श्रीनारायण यादव

### थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

### दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना सरायमीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 26.02.2026 को घटित दुष्कर्म, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में मु0अ0सं0 56/26 धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस बनाम आमिर पुत्र इरशाद निवासी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

### गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार शुक्ल मय हमराह पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, जांच प्रार्थना पत्र एवं लंबित विवेचनाओं में मामूर रहते हुए मुखबिर खास की सूचना पर खरेवां मोड़ थाना सरायमीर क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र इरशाद, निवासी – थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आमिर पुत्र इरशाद, निवासी – थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 56/26 धारा 64(1), 352, 351(3) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 399/25 धारा 110, 115(2), 351(3), 352, 69 बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 पंकज कुमार शुक्ल, थाना सरायमीर
02. हे0का0 विजय तिवारी, थाना सरायमीर

## प्रेस नोट

थाना – अतरौलिया, जनपद – आजमगढ़

अवैध तमंचा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 01.03.2026 को उ0नि0 मायापति पाण्डेय व उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराही पुलिस टीम थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में देखभाल, वांछित अभियुक्तों की तलाश व अपराध की रोकथाम हेतु मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा धुनकपुरा अंडरपास से ग्राम मंडोही अंडरपास के नीचे से समय करीब 12:35 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. बलवन्त चौहान पुत्र रामस्वरूप चौहान, निवासी – जगदीशपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 79/26, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना – अतरौलिया, जनपद – आजमगढ़ बरामदगी-

01. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 मायापति पाण्डेय ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

02. उ0नि0 उमेश चन्द ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

03. का0 राजकरन सोनकर ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

04. का0 शिवानन्द चौधरी ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

05. का0 राजू यादव ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

06. का0 महेश सरोज ,थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

